

# राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

## अभिदाता की मृत्यु के कारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास का आवेदन

क्लेम आईडी / Claim ID

अभिस्वीकृति क्र. (Ack No)

सेवा में,  
एनपीएस ट्रस्ट  
महोदय/महोदया,

मैं..... पीएफआरडीए (PFRDA) (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के संबद्ध प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार ..... के एनपीएस टीयर I खाते में जमा पेंशन के भुगतान के लिये आवेदन करता/करती हूँ।

टीयर II: - टीयर II खाते में जमा हुई पूरी पेंशन की राशि का भुगतान टीयर I खाते के एकमुश्त (Lump sum) आहरण के साथ किया जायेगा।

मैं एतद्वारा निम्नलिखित आवश्यक विवरण देता/देती हूँ:

\*महिला होने पर दायें और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

हाल की  
3.5 cm × 2.5 cm  
आकार/पासपोर्ट साइज  
रंगीन तसवीर लगायें

दावाकर्ता (Claimant) / अभिभावक  
(Guardian) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान\*

अनु. क्र.	विवरण	टिप्पणी
<b>खंड अ - अभिदाता और दावाकर्ता के विवरण</b>		
	<b>अभिदाता सेक्टर *</b>	1. गवर्नमेंट सेक्टर (Govt. Sector) <input type="checkbox"/> 2. ऑल सिटिजन्स ऑफ इंडिया/कॉर्पोरेट (All Citizens of India/corporate) <input type="checkbox"/> 3. एनपीएस लाइट/जीडीएस (NPS Lite / GDS) <input type="checkbox"/>
1.	संगठन (organisation) का नाम पीएओ/डीटीओ/सीएचओ/एनएलएओ (PAO/DTO/CHO/NLAO का नाम)	
2.	पीआरएएन* (PRAN)	
3.	अभिदाता का नाम*	First Middle Last
4.	अभिदाता का लिंग*	पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/>
5.	विवाह-पूर्वी नाम (विवाहित महिला अभिदाता होने पर)	First Middle Last
6.	पिता का नाम*	First Middle Last
7.	अभिदाता की वैवाहिक स्थिति*	विवाहित <input type="checkbox"/> अविवाहित/अन्य <input type="checkbox"/>
8.	अभिदाता के पति/पत्नी का नाम (अभिदाता के विवाहित होने और पति/पत्नी जीवित होने पर ही)	First Middle Last
9.	पति/पत्नी का लिंग (अभिदाता के विवाहित होने और पति/पत्नी जीवित होने पर ही)	पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/>
10.	अभिदाता की मृत्यु की तिथि*	DD / MM / YYYY
11.	अभिदाता की जन्मतिथि (पीआरएएन (PRAN) कार्ड के अनुसार)*	DD / MM / YYYY
12.	दावाकर्ता का नाम*	
13.	आधार (Aadhar)/वीआईडी (VID)	
14.	दावाकर्ता का पैन (PAN)*	
15.	सीकेवाईसी नंबर (CKYC Number)	
16.	क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) (Politically Exposed Person (PEP) हैं?*	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
17.	क्या आपका किसी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) (Politically Exposed Person (PEP) से संबंध है?*	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
18.	क्या आप भारत या विदेश में किसी आपराधिक प्रक्रिया में अभियुक्त रहे हैं?*	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
	अगर हाँ, तो कृपया विवरण दें	
19.	दावाकर्ता का संपर्क विवरण*	पता:  मोबाइल नंबर: +91 वैकल्पिक फोन नं.: ईमेल आईडी: दावाकर्ता की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही): DD / MM / YYYY अभिदाता के साथ संबंध प्रतिशत हिस्सा अभिभावक (Guardian) का नाम (अवयस्क होने पर ही) अभिभावक (Guardian) की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही)

**खंड बी – दावाकर्ता के बैंक संबंधी विवरण – (कृपया निर्देश नं. 6 देखें)\* के निशान वाले क्षेत्र अनिवार्य हैं।**

20.	बैंक खाता नंबर:*(Bank Account Number)	
21.	बैंक का नाम:*	
22.	बैंक शाखा का नाम और पता: मासिक पेंशन और एकमुश्त (Lump sum) राशि इस खाते में जमा की जायेगी, इसलिये सभी विवरण सावधानी से भरें।*	
23.	आइएफएससी कोड (IFSC Code) (कैंसल्ड चेक का एक पृष्ठ या बैंक पासबुक की प्रति (copy)/बैंक प्रमाणपत्र, जिसमें आइएफएससी कोड हो)*	

**खंड सी – दावाकर्ता के आहरण संबंधी विवरण – (कृपया निर्देश क्र. 6 देखें)**

सेवा निवृत्ति से पहले/बाद में या 60/65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के बाद मृत्यु होने पर

अ) क्या आप पूरी राशि निकालना चाहेंगे (सरकारी अभिदाता के लिये 5 लाख से कम या उसके बराबर होने पर)

हाँ नहीं 

अथवा

ब) क्या आप सामान्य पद्धति से पैसे निकालना चाहते हैं (एकमुश्त (Lump sum) और वार्षिकी (Annuity) आहरण)

हाँ नहीं 

#कृपया धनराशि का प्रतिशत बतायें, जो आप एकमुश्त (Lump sum) आहरण और वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिये चुनना चाहेंगे:

#दावाकर्ता राशि का कोई भी प्रतिशत वार्षिकी योजना में आवंटित कर सकता है (सरकारी सेक्टर के मामले में लागू नहीं)

एकमुश्त (Lump sum) आहरण के लिये चुनी गयी राशि (अधिकतम 20% – सरकारी अभिदाता के लिये)	वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिये चुनी गयी धनराशि का प्रतिशत (न्यूनतम 80% – सरकारी अभिदाता के लिये)	कुल (100%)

**खंड ड – दावाकर्ता की वार्षिकी का विवरण (कृपया निर्देश क्र. 10 और 11 देखें) (संपूर्ण आहरण की स्थिति में न भरें)**

वार्षिकी के लिये सेवा प्रदाता चुनें (कृपया आपकी पसंद से नीचे दिये गये विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनें)

 बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरंस / Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. एडलवाइस टोकियो / Edelweiss Tokio एचडीएफसी लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / HDFC Life Insurance Co. Ltd. आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / India First Life Insurance Co. Ltd. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd. लाइफ इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया / Life Insurance Corporation of India मैक्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / Max Life Insurance Co. Ltd. पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरंस कं. लि. / PNB MetLife Insurance Co. Ltd. एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / SBI Life Insurance Co. Ltd. स्टार यूनियन दाइ-इची लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. टाटा एआइए लाइफ इंश्योरंस कं. लि. / TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.

वार्षिकी योजना चुनें (कृपया अपनी पसंद से निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें)

 आजीवन वार्षिकी आजीवन वार्षिकी, मृत्यु के समय खरीद मूल्य की वापसी के साथ आजीवन वार्षिकी, वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय आजीवन वार्षिकी, वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय, खरीद मूल्य की वापसी के साथ एनपीएस-फैमिली इनकम ऑप्शन (निश्चित वार्षिकी) (सरकारी सेक्टर के अभिदाता के लिये अनिवार्य)

वार्षिकी बारंबारता (frequency) चुनें: कृपया अपनी पसंद से निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें। (सरकारी अभिदाता के लिए, वार्षिकी बारंबारता (frequency) केवल मासिक है)

 मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक

\*दावाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(दावाकर्ता अवयस्क होने पर अभिभावक के हस्ताक्षर)

दिनांक: DD / MM / YYYY

\*महिलाओं के दायें और पुरुषों के बायें अंगूठे के निशान लिये जा सकते हैं

**खंड ई – अभिदाता के परिवार के सदस्यों के विवरण\* (दावाकर्ता द्वारा एनपीएस – फैमिली इनकम विकल्प चुने जाने पर भरें)**

वार्षिकी देने के लिये परिवार के सदस्यों के विवरण।

अनु. क्र.	विवरण	पूरा नाम	आधार/वीआइडी	पैन <sup>§</sup>	जन्मतिथि
1.	पति/पत्नी <sup>§</sup>				DD / MM / YYYY
2.	आश्रित माता (यदि जीवित हों)				DD / MM / YYYY
3.	आश्रित पिता (यदि जीवित हों)				DD / MM / YYYY
4.	बच्चा 1 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY
5.	बच्चा 2 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY
6.	बच्चा 3 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY

ध्यान दें: बच्चों की संख्या 3 से अधिक होने पर, कृपया अतिरिक्त पृष्ठ में उल्लिखित करें।

<sup>§</sup> दावाकर्ता द्वारा एनपीएस – फैमिली इनकम विकल्प चुने जाने की स्थिति में अनिवार्य।**दावाकर्ता का घोषणापत्र**

मैं घोषित और स्पष्ट करता/करती हूँ कि फॉर्म में मेरे द्वारा दिये गये सभी निजी विवरण मेरी जानकारी में सच्चे और सही हैं। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा बैंक खाते समेत कोई भी जानकारी गलत दिये जाने की स्थिति में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान या देरी के लिये एनपीएस ट्रस्ट/सीआरए जिम्मेदार नहीं होंगे। साथ ही, मैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएसटी)/सीआरए को मेरे आहरण आवेदन से जुड़ी जानकारी वार्षिकी के सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने की भी अनुमति देता/देती हूँ, ताकि लागू मामलों में वार्षिकी खरीदना संभव हो सके, जो एनपीएस के अंतर्गत आवश्यक है।

अ. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मृत अभिदाता के एनपीएस खाते से भुगतान रोकने या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किये जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

ब. मैं जमा पेंशन की धनराशि का निपटान मेरे पक्ष में करने के कारण सीआरए/पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान या हानि की भरपाई करूंगा/करूंगी।

\*दावाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(दावाकर्ता अवयस्क होने पर अभिभावक के हस्ताक्षर)

दिनांक: DD / MM / YYYY

\*महिला होने पर दायें अंगूठे और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

**प्रस्तावक का घोषणापत्र: (संपूर्ण आहरण की स्थिति में न भरें)**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आगे दिये गये कथन और जानकारीयों मेरे द्वारा सवालियों और वार्षिकी के विकल्पों को पूरी तरह समझने के बाद दी गयी हैं और ये सभी प्रकार से सच्ची, सही और सटीक हैं और मैंने सच को छुपाने के लिये किसी भी जानकारी को दबाया या रोका नहीं है। मैं मानता/मानती और स्वीकार करता/करती हूँ कि इस प्रस्ताव में वॉरंटियों का समावेश है। मैं मानता/मानती हूँ और घोषित करता/करती हूँ कि इस घोषणापत्र के कथन मेरे और वार्षिकी सेवा प्रदाता (कंपनी) के बीच अनुबंध का आधार होंगे और अगर मेरी ओर से किसी गलतबयानी या महत्वपूर्ण सत्य छुपाये जाने या किसी झूठ अथवा मेरी ओर से किसी धोखाधड़ी का कंपनी को भविष्य में किसी समय पता चलता है, तो कथित अनुबंध पर बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर किये गये संशोधनों या अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मैं यह भी समझता/समझती और स्वीकार करता/करती हूँ कि कंपनी केंद्र और/या राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार लागू सेवा कर, अधिभार, उपकर इत्यादि प्रीमियम की राशि से अलग से लेगी।

मैं समझता/समझती हूँ कि यह अनुबंध बीमा अधिनियम, 1938 और भारत में लागू अन्य कानूनों के अधीन है और अनुबंध तब तक शुरू नहीं होगा, जब तक कंपनी द्वारा इसकी एक लिखित स्वीकृति जारी न की जाये और पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अनुबंध में दी गयी शर्तों के अधीन होंगे। मैं यह भी मानता/मानती हूँ कि प्रस्ताव/पॉलिसी में रखी गयी राशि पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होगा।

मैं यह भी स्पष्ट करता/करती हूँ कि पॉलिसी की विशेषताएँ और नियम व शर्तें मुझे अच्छी तरह समझाई गयी हैं और इन्हें समझने के बाद ही मैंने इनके लिये स्वीकृति दी है।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि अंतिम वार्षिकी राशि वार्षिकी जारी किये जाते समय वार्षिकी को खरीदने के लिये इस्तेमाल की गयी वास्तविक धनराशि के अधीन होगी। मैं यह भी मानता/मानती और स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा मुक्त विचार अवधि (Free look period) के तहत पॉलिसी रद्द करने का फैसला किये जाने पर मुझे धनराशि लौटाई नहीं जायेगी। यह धनराशि कंपनी की ओर से मेरे द्वारा चुनी गयी और लागू कानूनों और कायदों के अनुसार प्रमाणित किसी अन्य वार्षिकी योजना को देय होगी। साथ ही, इस बदलाव की अवधि के दौरान धनराशि जमा रखने के लिये मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

मैं कंपनी को ईमेल/एसएमएस/फोन कॉल द्वारा इस प्रस्ताव या परिणामी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी और सेवा संबंधी पत्राचार भेजने का अधिकार देता/देती हूँ।

मैं कंपनी को प्रस्ताव के विवरणों के सत्यापन और पॉलिसी संबंधी सेवा के लिये मेरे/हमारे विवरण बैंकों, वित्तीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को देने का अधिकार देता/देती हूँ, जिनके साथ कंपनी का गठबंधन हो।

गवाह के हस्ताक्षर

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान

हाल की एक तसवीर हस्ताक्षर के साथ चिपकायें

गवाह का नाम और पता: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: 

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**प्रस्ताव फॉर्म प्रस्तावक की जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरे जाने/प्रस्तावक द्वारा किसी प्रादेशिक भाषा में हस्ताक्षर किये जाने/प्रस्ताव के निरक्षर होने पर घोषणापत्र**

(संपूर्ण आहरण की स्थिति में न भरें)

मैं स्पष्ट करता/करती हूँ कि मैंने इस प्रस्ताव फॉर्म और सभी अन्य संबंधित दस्तावेजों के घटक प्रस्तावक को पढ़ कर ..... भाषा में समझाये हैं और उन्होंने इसे समझने के बाद परिणामी पॉलिसी के नियमों व शर्तों का पालन करने की स्वीकृति दी है और मेरी उपस्थिति में उनके अंगूठे का निशान प्रस्ताव फॉर्म पर लगाया है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_ दिनांक DD/MM/YYYY

मैं/हम स्पष्ट करते हैं कि प्रॉडक्ट (product) विवरण, इस फॉर्म के घटक और अन्य संबंधित दस्तावेज हमें पूरी तरह समझाये गये हैं और मैंने/हमने इन्हें पूरी तरह समझ लिया है। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि प्रस्ताव फॉर्म में दिये गये जवाब मुझे/हमें दी गयी जानकारी के अनुसार दर्ज किये गये हैं।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान

**खंड फ- नोडल ऑफिस द्वारा घोषणापत्र और सत्यापन****DDO/PAO/POP-SP द्वारा भरा/ सत्यापित किया जाना चाहिये**

1. मैं/हम ने दावाकर्ता द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों का सत्यापन वास्तविक दस्तावेजों के साथ किया है और दावाकर्ता के मूल दावे की प्रक्रिया के लिये इस आवेदन को स्वीकृत किया है। प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी हमारे द्वारा रखे गये आधिकारिक रेकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के साथ मेल खाती है। इस फॉर्म में दी गयी पूरी जानकारी घोषणापत्र और नामांकन विवरण समेत श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा प्रविष्टियाँ पढ़ने/मेरे द्वारा प्रविष्टियाँ उन्हें सौंपे जाने के बाद दी गयी है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है।
2. अभिदाता के एनपीएस अंशदान और नियोक्ता के अंशदान अभिदाता के पीआरएन (PRAN) में हस्तांतरित कर दिये गये हैं और नोडल ऑफिस स्तर पर कोई भी अंशदान बकाया नहीं है (सिर्फ सरकारी नोडल ऑफिस के लिये)
3. अभिदाता/दावाकर्ता की पहचान उपर्युक्त आहरण फॉर्म में दी गयी जानकारी के अनुसार प्रमाणित है। आहरण पत्र पर दी गयी जानकारी के अनुसार अभिदाता/दावाकर्ता का नाम सत्यापित किया गया है और अंतिम माना गया है।
4. यह भी प्रमाणित किया गया है कि इस कार्यालय ने मृत अभिदाता के विधिक वारिसों/नामित को कोई पारिवारिक पेंशन नहीं दिया/प्राप्त किया है और हमें उनके दावाकर्ता के लिये जमा पेंशन मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।
5. दावाकर्ता द्वारा बैंक विवरणों में दी गयी बैंक खाते से जुड़ी जानकारी की जाँच और सत्यापन किये गये हैं और उसे भुगतान के लिये स्वीकार किया जा सकता है।

डीडीओ/पीओपी-एसपी/एनएलसीसी  
(DDO/POP-SP/NLCC) का रबर स्टैम्प

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

डीडीओ/पीओपी-एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) पंजीयन क्रमांक \_\_\_\_\_

प्राधिकृत व्यक्ति का पद: \_\_\_\_\_

DDO/POP-SP/NLCC ऑफिस का नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक:   /   /

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर  
(DTO/PAO/POP/Aggregator) का रबर स्टैम्प

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) पंजीयन क्रमांक \_\_\_\_\_

प्राधिकृत व्यक्ति का पद: \_\_\_\_\_

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) ऑफिस का नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक:   /   /

**(पीएफआरडीए (निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत विनियम 3(C) के अनुसार)**  
(संपूर्ण आहरण की स्थिति में भरें)

**अभिदाता की मृत्यु के कारण और/या गवर्नमेंट सेक्टर अभिदाता के मामले में कुल पेंशन की राशि रु. 5,00,000/- या उससे कम होने पर पेंशन की कुल जमा धनराशि निकालने का आवेदन सह वचन पत्र**

मैं/हम ..... मृत अभिदाता का/की नामिति/विधिक वारिस/अवयस्क नामिति या अवयस्क विधिक वारिस का अभिभावक होने के नाते एनपीएस के अंतर्गत मृत अभिदाता की जमा पेंशन की राशि के भुगतान का आवेदन करता/करती हूँ और निम्नलिखित की पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ:

1. मुझे एनपीएस..... के अंतर्गत मृत अभिदाता श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के PRAN के संबंध में नामिति/विधिक वारिस चुना गया है।
2. एनपीएस से निकलने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि रु..... है, जो कि रु. 5,00,000/- या उससे कम होने के कारण, मैं/हम मानते हैं कि हम पीएफआरडीए (PFRDA) (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उसमें हुए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार मृत अभिदाता के निजी पेंशन खाते से पेंशन की कुल राशि निकालने के लिये योग्य हैं।
3. तदनुसार मैं/हम कथित PRAN अकाउंट से पूरी पेंशन की जमा राशि निकालना चाहेंगे, जो हमारे लिये पूरी और अंतिम प्राप्य राशि होगी।

मैं/हम भी समझता/समझती हूँ कि कथित आहरण के साथ, मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उसमें हुए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत वार्षिकी समेत कोई भी अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।

दिनांक:   /   /

स्थान:

\*महिला होने पर दायें और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

**\*दावाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

**(दावाकर्ता के अवयस्क होने की स्थिति में अभिभावक के हस्ताक्षर)**

डीडीओ/पीओपी-एसपी/एनएलसीसी  
(DDO/POP-SP/NLCC) का रबर स्टैम्प

डीडीओ/पीओपी-एसपी/एनएलसीसी  
(DDO/POP-SP/NLCC) के हस्ताक्षर

दिनांक:   /   /

डीडीओ/पीओपी-एसपी/एनएलसीसी  
(DDO/POP-SP/NLCC) का पंजीयन क्रमांक

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर  
(DTO/PAO/POP/Aggregator) का रबर स्टैम्प

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर  
(DTO/PAO/POP/Aggregator) एग्रीगेटर के हस्ताक्षर

दिनांक:   /   /

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर  
(DTO/PAO/POP/Aggregator) का पंजीयन क्रमांक

\*महिला होने पर दायें और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

## फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश

यह आवेदन पत्र एनपीएस अभिदाता की मृत्यु के कारण पेंशन की राशि निकालने का आवेदन करने वाले नामिति/दावाकर्ता द्वारा भरा जाना चाहिये

### सामान्य निर्देश:

1. हवाला-विरोधी (रेकॉर्ड का रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 में किये गये संशोधनों के अनुसार ऑनलाइन आहरण आवेदन शुरू करते समय आधार और पैन न दिये जाने पर एनपीएस खाते से लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तक आधार आवश्यक नहीं है)।
2. दावाकर्ता को अभिदाता के नोडल ऑफिस में कागज़ी स्वरूप में फॉर्म जमा करना होगा। नोडल ऑफिस अनिवार्य रूप से फॉर्म को ऑनलाइन पद्धति से ही जमा करेगा। सीआरए के पास जमा किये कागज़ी फॉर्म पर प्रक्रिया नहीं की जायेगी।
3. फॉर्म के सभी स्तंभों को काली स्याही वाली कलम से बिना किसी दोहरी लिखावट के भरा जाना चाहिये। (\*) निशान वाले क्षेत्र अनिवार्य हैं।
4. पिन कोड के साथ सही पत्राचार का पता दिया जाना चाहिये।
5. आहरण के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किये जाने चाहिये:
  - i. मृत अभिदाता का वास्तविक मृत्यु प्रमाणपत्र। एनपीएस लाइट और गवर्नमेंट सेक्टर अभिदाता के मामले में नोडल ऑफिस द्वारा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति (copy) आवश्यक है।
  - ii. आहरण फॉर्म पर दिये गये पते को प्रमाणित करने के लिये नोडल ऑफिस द्वारा सत्यापित नामिति/दावाकर्ता के पते के प्रमाण की प्रति (copy)। आहरण फॉर्म पर दिया गया पता पते के प्रमाण पर दिये गये पते से मेल खाना चाहिये।
  - iii. नोडल ऑफिस द्वारा सत्यापित नामिति/दावाकर्ता की पहचान के प्रमाण की प्रति।
  - iv. पीआरएएन (PRAN) कार्ड की प्रति (copy) (गवर्नमेंट सेक्टर अभिदाता के मामले में आवश्यक नहीं)। अगर पीआरएएन (PRAN) कार्ड की प्रति (copy) उपलब्ध न हो, तो ePRAN का प्रति या पीआरएएन (PRAN) कार्ड जमा न करने के कारणों का नोटरीकृत हलफनामा जमा करें।
  - v. डायरेक्ट क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिये कैंसल्ड चेक (Cancelled cheque) (जिसमें नामिति/दावाकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या (Bank Account Number) और आइएफएससी कोड (IFSC Code) हो) या बैंक प्रमाणपत्र/बैंक पासबुक, जिसमें नाम, बैंक खाता संख्या (Bank Account Number) और आइएफएससी (IFSC Code) कोड मौजूद हो।
6. आहरण का चयन:
  - i. मृत अभिदाता के निजी पेंशन खाते में जमा पूरी एनपीएस की धनराशि नामिति/विधिक वारिस को एकमुश्त (Lump sum) के रूप में दी जायेगी।
  - ii. दावाकर्ता को सेक्शन डी, सेक्शन ई और प्रस्तावक का घोषणापत्र भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर दावाकर्ता पूरी राशि निकालने का या एकमुश्त (Lump sum) आहरण का फैसला लेता है।
  - iii. अगर नामिति अवयस्क है, तो फॉर्म एक अभिभावक द्वारा भरा जाना चाहिये।
  - iv. मृत अभिदाता के नामिति या परिवार के सदस्यों के पास पैनल से जुड़ी वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) के पास उपलब्ध कोई भी वार्षिकी चुनने का विकल्प होगा।
  - v. अगर मृत अभिदाता ने मृत्यु से पहले नामांकन दर्ज न किया हो, तो जमा पेंशन की राशि संबद्ध राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम न्यायक्षेत्र द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर परिवार के सदस्यों को दे दी जायेगी।
7. नामिति/विधिक वारिस को उनके बैंक के संपूर्ण विवरण देने होंगे, जैसे बैंक का नाम, शाखा, शाखा का पूरा पता, खाते का प्रकार और आइएफएससी, जिसके अभाव में फॉर्म सीआरए द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस सेक्शन में शब्दों को काटा न गया हो और दोहरी लिखावट न हो। एकमुश्त (Lump sum) भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति से सीधे नामिति/विधिक वारिस के बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा।

8. निकासी के लिये पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची:-

अनु. क्र.	पहचान का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़)	पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़)
a	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।
b	फोटोग्राफ के साथ राशन कार्ड।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ राशन कार्ड।
c	बैंक पासबुक या फोटोग्राफ के साथ प्रमाणपत्र।	बैंक पासबुक या फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ प्रमाणपत्र।
d	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ मतदाता पहचान पत्र।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ मतदाता पहचान पत्र।
e	फोटोग्राफ के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
f	आय कर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड।	ज़िला मजिस्ट्रेट, विभागीय कमिश्नर, बीडीओ, तहसीलदार, मंडल राजस्व अधिकारी, न्याय दंडाधिकारी जैसे गज़ेटेड (राजपत्रित) अधिकारी के स्तर के किसी भी मान्य सार्वजनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
g	सांसद या विधायक द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाणपत्र के साथ फोटोग्राफ।	सांसद या विधायक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोग्राफ के साथ पते का प्रमाणपत्र।
h	युनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र।	युनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र, जिसमें पता साफ दिखाई दे रहा हो।
i	राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा (NREGA) द्वारा जारी जॉब कार्ड।	राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा (NREGA) का जॉब कार्ड।
j	रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र।	अभिदाता/दावाकर्ता के नाम पर हाल का बिजली बिल, जिसमें पता दिखाई दे (6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)।
k	रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके कर्मचारियों के लिये जारी किया गया पूर्व-सैनिक कार्ड।	अभिदाता/दावाकर्ता के नाम पर हाल का टेलिफोन का बिल, जिसमें पता दिखाई दे (6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)।
l	फोटो क्रेडिट कार्ड।	हाल की संपत्ति/मकान कर की रसीद (एक साल से ज्यादा पुरानी नहीं)।
m	-	घर का मौजूदा वैध लीज अग्रिमेंट (करारनामा) या स्टैम्प पेपर (किराये/लीज के आवास के मामले में अगर स्टैम्प पेपर पर अग्रिमेंट किया गया हो)।
n	केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभागों, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेज और ICAI, ICWAI, ICSI, बार काउंसिल जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।	निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा जारी किया गया पते के साथ पहचान पत्र/दस्तावेज़:  केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिये।



9. आहरण फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की सभी पहलुओं से पूर्णता की जाँच के बाद, और नामिति/विधिक वारिस के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की पुष्टि और नोडल ऑफिस में प्राधिकृत व्यक्ति के घोषणापत्र और सत्यापन के बाद नोडल ऑफिस आहरण फॉर्म को निम्नलिखित पते पर भेजेगा, जहाँ रिकॉर्ड के रखरखाव के उद्देश्य से उसे स्वीकृति के बाद 90 दिनों तक रखा जायेगा:

**एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल (NPS Claim Processing Cell)**  
सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी,  
**प्रोटीयन इंगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,**  
(पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में ज्ञात)  
पहली मंजिल, टाइम्स टावर,  
कमला मिल्स कम्पाउंड,  
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,  
मुंबई - 400013.

#### 10. वार्षिकी सेवा प्रदाता

एनपीएस अभिदाता को वार्षिकी की सेवाएँ प्रदान करने के लिये पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा 13 वार्षिकी सेवा प्रदाता पैनेल में शामिल किये गये हैं, जिनकी सूची नीचे दी गयी है (एएसपी (ASP) के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिये गये हैं)।

एएसपी (ASP) का नाम, न्यूनतम उम्र और वार्षिकी खरीदने के लिये आवश्यक न्यूनतम धनराशि।

अनु. क्र.	एएसपी (ASP) का नाम	निश्चित वार्षिकी		निश्चित से अलग वार्षिकी	
		न्यूनतम उम्र	न्यूनतम धनराशि	न्यूनतम उम्र	न्यूनतम धनराशि
1	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	37	25,000	37	25,000
2	कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,25,000	45	2,25,000
3	एडेलवाइस टोकियो	-	-	40	2,00,000
4	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	30	कोई भी राशि	20	कोई भी राशि
5	आइसीआइसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	18	कोई भी राशि	30	कोई भी राशि
6	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	40	10,000	40	10,000
7	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,05,000	45	2,05,000
8	लाइफ इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	20	50,000	30	50,000
9	मैक्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	-	-	50	2,50,000
10	पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरंस कं. लि.	18	3,00,000	18	3,00,000
11	एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	18	50,000	18	50,000
12	स्टार यूनिवर्सल दाइ-बी लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	1,00,000	45	1,00,000
13	टाटा एआइए लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,24,200	45	2,24,200

भारत में निम्नलिखित प्रकार अधिकांश एएसपीज़ (ASPs) के पास उपलब्ध हैं। अभिदाता को आहरण पत्र पर निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प चुनना चाहिये:

1. **आजीवन वार्षिकी** – वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु के साथ वार्षिकी बंद हो जाती है।
2. **आजीवन वार्षिकी के साथ मृत्यु के समय खरीद मूल्य वापस** – वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और खरीद मूल्य नामिति को लौटा दिया जाता है।
3. **वार्षिकी आजीवन देय और प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय** – वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी जीवन भर उनके पति/पत्नी को मिलती रहती है। अगर पति/पत्नी की मृत्यु प्राप्तकर्ता से पहले हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता की मृत्यु के साथ वार्षिकी बंद हो जायेगी।
4. **वार्षिकी आजीवन देय है और प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय तथा खरीद मूल्य की वापसी के साथ** – वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी पति/पत्नी को जीवन भर मिलती रहती है और खरीद मूल्य पति/पत्नी की मृत्यु के बाद नामिति को दे दी जाती है। अगर पति/पत्नी की मृत्यु प्राप्तकर्ता से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी का भुगतान प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद बंद हो जाता है और खरीदने की राशि नामिति को दे दी जाती है।

**ध्यान दें:** कृपया ध्यान दें कि एनपीएस से निकासी और पैनेलबद्ध एएसपी से वार्षिकी खरीदना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। दावाकर्ता के लिये वार्षिकी योजना पीएफआरडीए (PFRDA) के साथ पैनेलबद्ध एएसपी से खरीदना अनिवार्य है। एएसपी (ASP) को फॉर्म प्राप्त होने के बाद और फॉर्म की पूर्णता तथा केवाईसी आवश्यकताओं को लेकर उनकी पूरी संतुष्टि के बाद, वार्षिकी दावाकर्ता को जारी कर दी जायेगी (गवर्नमेंट सेक्टर अभिदाता के लिये लागू)।

किसी एएसपी (ASP) के साथ विशिष्ट वार्षिकी योजना की उपलब्धता और वार्षिकी के प्रस्तावों को लेकर अधिक जानकारी नीचे दी गयी लिंक के अनुसार सीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध है: [www.npscra.nsdl.co.in/annuity-service-providers.php](http://www.npscra.nsdl.co.in/annuity-service-providers.php)

एएसपी (ASP) योजना के विवरण वार्षिकी चयन तालिका में बदलाव संभव है। वार्षिकी के विवरण भरने से पहले कृपया सीआरए (CRA) की वेबसाइट पर जायें। एएसपी (ASP) के पैनेलबद्ध होने की सूची समय-समय पर नये एएसपी (ASP) पैनेल में शामिल किये जाने के साथ बदलती रहती है।

#### एनपीएस – खरीद मूल्य वापस लौटाये जाने के साथ पारिवारिक आमदनी योजना

11. नियम 3 (C) के अनुसार, अभिदाता की कुल जमा पेंशन की राशि का कम से कम 80% हिस्सा वार्षिकी खरीदने में लगाया जाना चाहिये और वार्षिकी अनुबंध अभिदाता के पति/पत्नी को जीवन भर वार्षिकी प्रदान करेगा और साथ ही उसमें खरीद मूल्य लौटाये जाने का भी प्रावधान होगा। नियम 3 (C) के अंतर्गत वार्षिकी योजना पर अधिक विवरण स्पष्ट करते हैं कि वार्षिकी अनुबंध अभिदाता के पति/पत्नी (यदि हो, तो) को आजीवन वार्षिकी प्रदान करेगा और उसमें खरीद मूल्य लौटाये जाने का भी प्रावधान होगा और पति/पत्नी की मृत्यु के बाद यह वार्षिकी खरीदे जाने के समय लागू प्रीमियम की दर पर निम्नलिखित क्रम में परिवार के सदस्यों को जारी किया जायेगा, जिसमें अनुबंध के अंतर्गत लौटाई जाने वाले खरीद मूल्य का उपयोग किया जायेगा (जब तक कि नीचे दिये गये सभी सदस्य संरक्षित न हो जायें):

अ) मृत अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;

ब) मृत अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

इन सभी सदस्यों के संरक्षण के बाद, खरीद मूल्य अभिदाता के जीवित बच्चों को लौटा दिया जायेगा और बच्चे न होने पर यह अभिदाता के लागू विधिक वारिसों को देय होगा।

12. जमा शेष राशि का भुगतान अभिदाता के नामिति या विधिक वारिस को एकमुश्त (Lump sum) के रूप में दिया जायेगा।
13. अगर अभिदाता की मृत्यु के समय उसके पीआरएएन (PRAN) में पेंशन की जमा राशि पाँच लाख रुपये या उससे कम हो, तो नामिति या विधिक वारिस के पास वार्षिकी खरीदे बिना आवेदन सह वचन पत्र जमा करके पूरी जमा राशि निकालने का विकल्प होगा। इस विकल्प का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने का परिवार के सदस्यों का अधिकार समाप्त हो जायेगा।
14. एकमुश्त (Lump sum) राशि का दावा करने वाले नामिति या दावाकर्ता को उसके बैंक से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे बैंक का नाम, शाखा, शाखा का पूरा पता, खाते का प्रकार और आइएफएससी, जिसके अभाव में सीआरए द्वारा फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस हिस्से में शब्दों को काटा न गया हो और दोहरी लिखावट न हो। एकमुश्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति द्वारा सीधे नामिति/दावाकर्ता के बैंक खाते में जमा हो जायेगा।